न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.), राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 मनोज जोशी, आर.जे.एस.
मूल दीवानी प्रकरण संख्या– 02 सन् 2014

1. श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री हरिनारायण शर्मा, उम्र–54 वर्ष, निवासी स्टेशन रोड़, कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद
2. श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री कैलाश कुमावत, उम्र–30 वर्ष, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद
3. आशा पुत्री श्री रोशनलाल जी लोढ़ा, उम्र–38 वर्ष, निवासी धोइन्दा, तहसील व जिला राजसमंद
4. श्रीमती केशर पत्नी श्री रामलाल जी कुमावत, उम्र–32 वर्ष, निवासी सनवाड़, तहसील व जिला राजसमंद

—— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमंद
2. नगर परिषद, राजसमंद जरिये आयुक्त/अध्यक्ष, नगर परिषद, राजसमंद

—— प्रतिवादी

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश तलेसरा – अधिवक्ता –वादीगण
2. श्री अब्दुल हकीम चूड़ीगर –अधिवक्ता –प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : **07/03/14**

1. वादीगण ने एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर यह निवेदन किया है कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य की भूमियां अन्दर हल्का आबादी नगर परिषद क्षेत्र राजसमंद राजस्व ग्राम शंकरपुरा में स्थित है । जो मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग की होकर राजस्व रेकर्ड में राजस्व ग्राम शंकरपुरा की आराजी नम्बर 21/1, 22/1, 28/1, 29 व 20/1 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि है, जिसमें वादीगण का हिस्सा क्रमशः 2/108, 2/108, 2/108 व 1/108 हिस्सा निहित है और उक्त हिस्सा

अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं । नगरपालिका राजसमंद द्वारा वर्तमान मास्टर प्लान में उक्त भूमि को आबादी क्षेत्र में सम्मिलित कर रखा है और उक्त आराजियात नगरपालिका के मास्टर प्लान के अनुसार आबादी क्षेत्र के लिए रिजर्व है और इसी उद्देश्य के लिए नगरपालिका द्वारा भूमि को रूपान्तरण की कार्यवाही की जा सकती है । उक्त भूमि संयुक्त हिस्सेदारी की होकर संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य की है, जिसका विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है और आज भी संयुक्त रूप से ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । भूमि का विभाजन नहीं होने पर भी अन्य व्यक्ति जो कि प्रभावशाली है, वे सभी लोग उक्त भूमि में अपने मनमाफिक रूप से अपने हिस्से की भूमि को वादीगण की सहमति स्वीकृति के बगैर बिना विभाजन कराये अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या–1 से रूपान्तरण कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को उक्त भूमि को बिना विभाजन किये एवं वादीगण की सहमति स्वीकृति के बगैर मनमकसूद तरीके से रूपान्तरण कर पट्टे जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त अविभाजित जायदाद को अपने मनमाफिक तरीके से आवंटन एवं रूपान्तरण की कार्यवाही की जा रही है, जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है । प्रतिवादीगण के उक्त अवैध कृत्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है । मामला आवश्यक प्रकृति का है । यदि प्रतिवादी को 2 माह का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिवादीगण द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त अविभाजित जायदाद की अपने मनमाफिक तरीके से आवंटन एवं रूपान्तरण कार्यवाही कर दी जायेगी । इसलिए धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिये बगैर यह वाद पेश किया जा रहा है । अनुमति बाबत धारा 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है । वाद कारण दिनांक 08.01.2014 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है ।

2. अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद के पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि का जब तक विधिवत रूप से विभाजन न हो जाये या वादीगण की सहमति स्वीकृति प्रदान नहीं करे, जब तक वाद पत्र के पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि का

प्रतिवादी किसी प्रकार से रूपान्तरण नियमन आवंटन की कार्यवाही नहीं करे । बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ऐसा कोई कृत्य नहीं करे । भूमि का जब तक विधिवत विभाजन न हो, वादीगण सहमति, स्वीकृति प्रदान न करे, उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं इसमें ऐसा कोई तात्विक परिवर्तन नहीं करे अर्थात रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। दौराने सुनवाई वाद प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार ऐसा कोई कृत्य कर दिया जाता है तो आदेशात्मक आज्ञा के जरिये प्रतिवादीगण के खर्चे पर पुनः पूर्ववत स्थित कायम करवाई जावे । वाद पत्र के समर्थन में राजेन्द्र कुमार पिता हरिनारायण शर्मा का शपथ पत्र पेश किया गया ।

3. प्रतिवादी संख्या–1 तहसीलदार, राजसमंद द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है । वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है । अन्त में वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । जवाब दावे के समर्थन में प्रतिवादी हंसमुख मेघवाल का शपथ पत्र पेश किया गया ।

4. प्रतिवादी संख्या–2 नगरपरिषद, राजसमंद द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजियात बाबत एक पत्रावली प्रतिवादी के यहां प्रस्तुत हुई थी, जिसे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दी है । प्रतिवादी के यहां वर्तमान में उक्त आराजियात की कोई पत्रावली भूमि रूपान्तरण बाबत विचाराधीन नहीं होने से वादी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी नगरपरिषद द्वारा भूमि रूपान्तरण की पत्रावली पूर्व में ही खारिज कर देने से वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है । वादीगण की भूमि कृषि भूमि होने से इस प्रकार के वाद की सुनवाई की अधिकारिता आप न्यायालय को नहीं होकर माननीय सहायक कलैक्टर महोदय, राजसमंद में निहित है । अन्त में वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बनाये गये :–

(1) ''आया वाद पत्र के पद संख्या–1 में वर्णित वादीगण के संयुक्त

आधिपत्य की भूमि का विधिवत रूप से विभाजन हुए बिना, वादीगण की सहमति, स्वीकृति के बिना, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण रूपान्तरण, नियमन, आवंटन की कार्यवाही करने पर आमादा हैं ?''

.....वादीगण

(2) अनुतोष ?

6. वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.डब्ल्यू–1 राजेन्द्र कुमार वादी स्वयं को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रदर्श–1, पेश कर प्रदर्शित करवाई गई एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई ।

7. उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया । तत्पश्चात् विरचित विवाद्यकों पर हमारा विवेचन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

<u>विवाद्यक संख्या–1</u> :–

9. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था । इस विवाद्यक को साबित करने के लिए वादीगण को यह साबित करना था कि वाद पत्र के पद संख्या–1 में वर्णित वादीगण के संयुक्त आधिपत्य की भूमि का विधिक रूप से विभाजन हुए बिना वादीगण की सहमति, स्वीकृति के बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण रूपान्तरण, नियमन, आवंटन की कार्यवाही करने पर आमादा है । इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू–1 वादी राजेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में वाद पत्र में किये गये कथनों को ही दोहराया है । जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसकी एक संयुक्त खातेदारी जमीन राजस्व ग्राम शंकरपुरा में स्थित है । यह कहना सही है कि उसने अपनी भूमि का रूपान्तरण नहीं करवाया है व यह सही है कि उसका इस भूमि बाबत सह खातेदारों से विभाजन नहीं हुआ है । यह कहना गलत है कि उसने अन्य खातेदारों को भूमि रूपान्तरण बाबत कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति ली हो । यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नगरपालिका में कोई कार्यवाही नहीं हुई हो । यह सही है

कि वह प्रतिवादी द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही चाहता है, जिसके लिए उसे अवसर दिया जाए व प्रतिवादीगण विधि सम्मत कार्यवाही करें तो उसे कोई आपत्ति नहीं है ।

10. वादी पी.डब्ल्यू–1 राजेन्द्र कुमार ने स्वयं की भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–1 पेश की है । पी.डब्ल्यू–1 वादी राजेन्द्र कुमार ने जिरह में इस भूमि का रूपान्तरण नहीं करवाने व इस भूमि बाबत सहखातेदारों से विभाजन नहीं होना कथन किया है । प्रतिवादीगण ने भी विवादित भूमि का विभाजन नहीं होना स्वीकार किया है तथा स्वयं के नियमानुसार कार्यवाही करने का कथन किया है । पी.डब्ल्यू–1 वादी राजेन्द्र कुमार ने भी जिरह में यह कथन किया है कि यदि प्रतिवादीगण विधि सम्मत कार्यवाही करें तो उसे आपत्ति नहीं है तथा वह विधि सम्मत कार्यवाही चाहता है । इस प्रकार यह विवाद्यक वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया जाता है ।

<u>अनुतोष</u> :–

11. चूंकि विवाद्यक संख्या–1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया गया है। फलतः वादीगण अपनी साक्ष्य से प्रस्तुत वाद को साबित कराने में सफल रहा है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है ।

<u>आदेश</u>

12 अतः वादी श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री हरिनारायण शर्मा, श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री कैलाश कुमावत, आशा पुत्री श्री रोशनलाल जी लोढ़ा एवं श्रीमती केशर पत्नी श्री रामलाल जी कुमावत का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमंद एवं नगर परिषद, राजसमंद जरिये आयुक्त/अध्यक्ष, नगर परिषद, राजसमंद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादपत्र के पद संख्या–1 में वर्णित आराजियात का किसी प्रकार रूपान्तरण नहीं करें । पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगे । नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें ।

(डॉ0 मनोज जोशी)

13. निर्णय आज दिनांक 07–03–2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 मनोज जोशी)

All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed.

Rinky Arora, Steno